सीमाशुल्कप्रधानआयुक्तकाकार्यालय
OFFICE OF THE PRINCIPAL COMMISSIONER OF CUSTOMS
हवाईअड्डाऔरएयरकार्गोकॉप्लेक्सआयुक्तालय / AIRPORT AND AIR CARGO COMPLEX COMMISSIONERATE
एयरइंडियासाट्सएयरफ्रीटटर्मिनल, दूसरातल, देवनहल्ली, बेंगलूर
AIR INDIA SATS AIR FREIGHT TERMINAL 2ND FLOOR: KIAP: DEVANAHALLI BENGALURU– 560300 080-22001463/64

लो◌ाक सूचना सं / PUBLIC NOTICE. NO.19/2020 दिनांक/ DATE: 23.04.2020

विषय: सीमा शुल्क अधिनियम 1962 की धारा 143 ए ए के अधीन लॉक डाउन की अवधि में व्यापार को सुविधा प्रदत्त करने के संबंध में दिनांक 03.4.2020 को बोर्ड द्वारा जारी किये गये परि पत्र सं 17/2020 के पुनरीक्षण के संबंध में ।

Subject: Review of Circular No. 17/2020 dated 03. 04. 2020 namely, 'Measures to facilitate trade during the lockdown period-Section 143AA of the Customs Act, 1962-reg.

उपर्युक्त विषय के संबंध में, सीमा शुल्क अधिनियम 1962 की धारा 143 ए ए के अधीन लॉक डाउन की अवधि में व्यापार को सुविधा प्रदत्त करने के संबंध में दिनांक 03.4.2020 को बोर्ड द्वारा जारी किये गये परि पत्र सं 17/2020 सी.शु एवं एयर पोर्ट एवं ए.सी.सी आयुक्तालय द्वारा जारी किये गए लोक सूचना सं 18/2020 की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता हैए जिसके तहत , दिनांक 30.4.2020 तक उक्त परिपत्र में दिये गये बशर्तों के अनुसार सीमा शुल्क निकासी के लिए वांछित बंध पत्र के बदले में वचन को स्वीकार करने के लिए छूट दिया गया था ।

Kind attention is invited to Board's Circular No. 17/2020 Cus. dated 03. 04. 2020 and Airport & ACC Commissionerate Public Notice No.18/2020, on *"Measures to facilitate trade during the lockdown period-section 143AA of the Customs Act, 1962'* wherein relaxation was given to accept an undertaking in lieu of a bond required during customs clearance upto 30. 04. 2020, subject to conditions as underlined in the circular.

2. कोविड़ 19महामारी के फजस्वरूप भारत सरकार द्वारा दिनांक 25.3.2020 से 14.4.2020 तक की अवधि के लिए घोषित लॉकडाउन के अनुसरण में उक्त परिपत्र एवं लोक सूचना जारी किया गया था ।
The said Circular and Public Notice, were issued in the context of lockdown announced by the Government for the period 25. 03. 2020 to 14. 04. 2020 due toCOVID-19 pandemic.

3. भारत सरकार द्वारा दिनांक 03. 05. 2020 तक लॉकडाउन को बढाने की घोषणा के परिपेक्ष्य में एवं इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि, लॉक उाउन के बाद परिस्थिति सामान्य बनने में कुछ समय लगेगा, बोर्ड ने अपने दिनांक 21.4.2020 के परिपत्र सं 21/2020 के तहत यह निर्णय लिया है कि,सीमा शुल्क निकासी के लिए वांछित बंध पत्र के बदले में वचन को स्वीकार करने के लिए दिये गए छूट को दिनांक 15.5.2020 तक बढाया जाए । इसके फलस्वरूप , उचित बंध पत्र , जिसके बदले में वचन को अस्थायी रूप में स्वीकृत किया जाता है, उसको प्रस्तुत करने की तिथि को दिनांक 30.5.2020 तक बढाया जाता है । इस छूट के सबंध में किये जानेवाले संशोधन, बोर्ड द्वारा लॉक डाउन की अवधि के बाद किया जाएगा ।
In the background of the recent announcement by the Government extending the lockdown till 03. 05. 2020 and taking into consideration that it might take sometime after the end of the lockdown for the situation to normalise, the Board vide Circular No.21/2020 Cus. Dated 21.04.2020, has decided to further extend the facility of

accepting undertaking in lieu of bond for the period till 15. 05. 2020. Consequently,the date for submission of proper bond in lieu of which the undertaking is being temporarily accepted is extended till 30. 05. 2020. This relaxation will be reviewed by the Board at the end of the lockdown period.

4. आगे, परिपत्र के पैरा 3.3(ii)के संदर्भ में ,बंध पत्र के बदले में प्रस्तुत वचन को आई.ई.सी धारक या प्राधिकृत सीमा शुल्क बोकर द्वारा उनके पंजीकृत ई मेल द्वारा प्रस्तुत करना पडेगा । इसके अतिरिक्त , वचन को ई संचित में भी अपलोड किया जा सकता है ।

Furthermore, in reference to Para 3. 3(ii)of the circular,the undertaking in lieu of bond is to be submitted by the registered email ID of the IEC holder or their authorised Customs Broker. In addition to this, the undertaking can also be uploaded on e-Sanchit.

5. उपर्युक्त के अलावा, संदर्भित दिनांक 03.04.2020 परिपत्र सं 17/2020 Cusएवं लोक सूचना सं 18/2020 सभी शर्तें वही होगा ।

With the exception of the above,all other conditions underlined in Circular No. 17/2020 Cus. dated 03.04.2020 and Public Notice No.18/2020 referred above, stand as they are.

6.अधिकारियोंकेलियेइसलोकसूचनाकेनिर्णयोंकेआधारपरकीजानेवालीकार्र्वाईकेलियेयहस्थायीआदेशकीतरहमानाजायेगा।

Action to be taken in terms of decisions taken in this Public Notice will be considered as Standing Order forofficers/staff.

7. इस संबंध में कोई तकलीफ हो तो उसको, श्री एस नासर खान, अपर आयुक्त, दूर भाषा सं 080-27688258 ,एवं ई मेल पता nasser.khan@nic.in.में सूचित कर सकते हैं ।

Difficulties, if any, may please be brought to the notice of Sri.S. Nasser Khan, Additional Commissioner, Telephone No.080-27688258 Email-nasser.khan@nic.in.

अशोक 23/04/2020

(अशोक/ ASHOK)

प्रधान आयुक्त/ PRINCIPAL COMMISSIONER

फाईलसंC.No.VIII/48/97/2020 BACC TECH

के तहत जारी की जा रही है /Issued from File C.No.VIII/48/97/2020 BACC TECH

प्रतिप्रस्तुत /Copy submitted to:

मुख्यआयुक्त, सीमाशुल्कबेंगलूरु, बेंगलूरुअंचल, केंद्रीयराजस्वभवन, बेंगलूरु / The Chief Commissioner of Customs, Bengaluru Zone, C.R. Building , Bengaluru

प्रतिप्रेषित/Copy to:

1) सभीअपर/ संयुक्त/उप/सहायकआयुक्तएयरपोर्टएवंएसीसीआयुक्तालय/ All the ADCs/JCs/DCs/ACs, Airport & ACC Commissionerate, Bengaluru
2) फेडरेशनआफकर्नाटका, चेंबरऑफकामर्स, सं9996 , केंपेगौडारोड, गाँधीनगर, बेंगलूरु Federation of Karnataka, Chamber of Commerce & Industry (FKCCI), No.9996, Kempegowda Road, Gandhinagar, Bengaluru

3) बेंगलूरुसीमाशुल्कबोकार्सएजेंटसंगटन, सं71., कार्गोविल्लेज, बी-ब्लाक, बेंगलूरुअंतर्राष्ट्रीयएयरपोर्ट,देवनहल्ली, बेंगलूरु / Bangalore Customs Brokers Agents Association
4) सभी एयर लाइंस उनके संगठन द्वारा/ All Airlines through Association.
5) फेडरेशनआफइंडियनएक्सपोर्टआरर्गनाईसेशन, (एफ.आई.एफ.ओ,) पहलातल, वी.आई.टी.सी, भवन, कस्तूरिबारोड, बेंगलूरु।Federation of Indian Export Organisation (FIFO),IstFloor,VITC Building, Kasturba Road, Bengaluru
6) सभी संरक्षकों/All Custodians.
7) बेंगलूरुसीमाशुल्कवेबसाईट /Bengaluru Customs Website
8) सूचनापट्ट /Notice Board.
9) बेंगलूरुसेप्रचलितसभीकोरियरएजेन्सी /All Courier Agencies Operating at Bengaluru (कोरियरसंगठ्नद्वारा/ through Courier Association)
10) मास्टरफाईल /Master file.